भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3035

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2022

एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता

3035. श्री अनुराग शर्मा:
श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** क्या सरकार ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) : सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने हैं;

(घ) : क्या यह सच है कि वैश्विक महामारी कोविड के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई हैं; और

(ङ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोविड के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को नई नौकरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और केंद्रीय बजट घोषणाओं के तहत कार्यक्रमों, योजनाओं और घोषणाओं के माध्यम से हाल ही में कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करना भी शामिल है। वित्तीय सहायता के लिए की गई पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 4.5 लाख करोड़ का कोलेटरल मुक्त स्वचालित ऋण (अब बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है और 31.03.2023 तक बढ़ाया गया है) (डीएफएस द्वारा कार्यान्वित);

(ii) अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी); और

(iii) आत्मनिर्भर भारत फंड (एसआरआई फंड) के माध्यम से इक्विटी समावेशन।

इसके अतिरिक्त, महामारी की अवधि के दौरान एमएसएमई को इस मंत्रालय की पहले से चल रही वित्तीय सहायता योजनाओं द्वारा भी सहयोग दिया गया है जैसे कि-

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्वरोजगार उत्पन्न करना है; और

(ii) क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस), क्रेडिट वितरण प्रणाली को मजबूत करने और कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी की परेशानी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए है।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार आवंटित नहीं की जाती हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लिए उपरोक्त योजनाओं का विवरण संलग्न है:

केंद्रीय बजट 2022 में सरकार ने यह घोषणा भी की है कि एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल और राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता प्रतिचित्रण (एएसईईएम) पोर्टल' से जोड़ा जाएगा।

(घ) और (ङ) : रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार में हुई हानि से उभरने के साथ साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत अक्टूबर, 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आरम्भ की गई है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू की जा रही योजना एमएसएमई क्षेत्र सहित नियोक्ताओं के वित्तीय भार को कम करने और उन्हें अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी।

******

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3035, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	स्कीम का नाम	तमिलनाडु			उत्तर प्रदेश		
		2019-20 (करोड़ रुपये में)	2020-21 (करोड़ रुपये में)	2021-22 (करोड़ रुपये में)	2019-20 (करोड़ रुपये में)	2020-21 (करोड़ रुपये में)	2021-22 (करोड़ रुपये में)
1.	**गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) :**						
	एमएसएमई को जारी की गई गारंटियों की संख्या	लागू नहीं	6,19,047	2,42,292	लागू नहीं	6,21,247	1,60,996
	गारंटीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपये में)	लागू नहीं	17506.58	7,330.67	लागू नहीं	11,495.67	4,272.70
2.	**अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी):**						
	जारी की गई गारंटियों की संख्या	लागू नहीं	74	15	लागू नहीं	37	24
	स्वीकृत गारंटी राशि (करोड़ रुपये में)	लागू नहीं	9.10	2.45	लागू नहीं	3.81	2.11
3.	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):**						
	सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयाँ	5,172	5,188	5,972	6,120	9,994	12,594
	वितरित मार्जिन राशि (करोड़ रुपये में)	123.48	138.82	164.45	216.52	329.85	411.65
4.	**क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस):**						
	जारी की गई गारंटियों की संख्या	89,725	61,535	44,897	89,271	78,655	86,616
	गारंटी की राशि (करोड़ रुपये में)	4,352.82	3,343.95	4,133.60	4,154.02	3,726.70	5,628.12

स्रोत: i) ईसीएलजीएस - डीएफएस, वित्त मंत्रालय।

ii) सीजीएसएसडी और सीजीएस - सीजीटीएमएसई, मुंबई।

iii) पीएमईजीपी - केवीआईसी, मुंबई